राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
गृह विभाग,
पांचवा तल,सी विंग,दिल्ली सचिवालय,
आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली ।

पत्र सं./33/102/2019/ गृह विभाग/ 7036 दिनांक 21/08/2019

सेवा में,

उप–सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधान सभा,
पुराना सचिवालय,
दिल्ली–110054

विषयः विधानसभा आतारांकित प्रश्न संख्या 224 प्रश्नकर्ता श्री पंकज पुष्कर, दिनांक 26.8.2019 के पूछे जाने के संबंध में ।

महोदय,

कृप्या उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में देखने का कष्ट करें । विधानसभा आतारांकित प्रश्न संख्या 224 प्रश्नकर्ता श्री पंकज पुष्कर, द्वारा पूछा जाना है, के उत्तर की 100 प्रतियां आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जा रही हैं । प्रश्न का निम्नलिखित उत्तर माननीय गृह मंत्री की पूर्व सहमति से जारी किया गया है ।

	प्रश्न	उत्तर
क	दिल्ली फॉरेंसिक लेब के विभिन्न लेबोरेटीज के पास 1 मार्च, 2015 से 31 जुलाई, 2019 तक जांच हेतु कितने मामले आए	दिल्ली फॉरेंसिक लेब ने 01 मार्च, 2015 से 31 जुलाई, 2019 तक पच्चपन हजार दो सौ तीन (55203) मामले प्राप्त किए ।
ख	उक्त सभी जांचो में सामान्यतः रिपोर्ट तैयार करने मे कितना समय वांछित होता है,	सामान्यतः एक केस की जांच करने में एक से दो महीने का समय लगता है केस पर लगने वाला समय केस की प्रकृति एवम् केस की जटिलता पर निर्भर रहता है ।
ग	उक्त जांचो मे जांच करने एवं रिपार्ट तैयार होने मे कितना समय लग रहा है,	
घ	ऐसे कितने मामले हैं जिनमें सेम्पल की जांच एवं रिपोर्ट तैयार होने में 365 दिन से अधिक समय लगा, और	ऐसे मामले जिनमें सेम्पल की जांच एवं रिपोर्ट तैयार होने में 365 दिन से अधिक समय लगा, की संख्या चार हजार नौ सौ इक्कसठ (4961) है।
ड	उक्त क्रिमिलन जस्टिस सिस्टम में होने वाली हानि का क्या आकलन है?	यह सूचना विभाग के पास उपलब्ध नहीं है

भवदीय,

(डी.एन.सिंह)
विषेश सचिव (गृह विभाग),
दिल्ली सरकार